



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 30/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1.रामदेव बैठा वो 2.बासुदेव बैठा वो 3.ठिमू बैठा  
शोभा देवी

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
21.08.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदिका 1. रामदेव बैठा वो 2. बासुदेव बैठा वो 3. ठिमू बैठा सभी पिता स्व० खुदी बैठा ग्राम-लोधमा, थाना-कर्रा, जिला खूँटी ने शोभा देवी पति हिरालाल बैठा ग्राम-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>लोधमा</td><td>162</td><td>55</td><td>329</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 888 दिनांक 14.08.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार क्रेता ग्राम लोधमा के मुल निवासी नहीं है एवं गलत तरीके से आवासीय प्रमाण बनवाये है। अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा भूमि विक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 21/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> 21/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड में)	लोधमा	162	55	329	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड में)								
लोधमा	162	55	329	0.20								